HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 5928/2026
CNR: RJHC020864962026 | URN: CRLMP / 14501U / 2026

K S Motor Private Limted, Pink Pearl Resorts, Narsinghpura, Ajmer Road, Jaipur Through Authorized Officer/director

----Petitioner

Versus

1. Babulal Gurjar S/o Shri Narayan Gurjar, 9, Chomuka Choudhariyon Ki Dhani, Near Primary School, Jamwa Ramgarh, Jaipur (Raj.)
2. Babulal Gurjar, President, Chanakya Education And Welfare Society Through Shahid Bhagat Singh Mahavidyalya, Bhagwanpura Road, Raipur, Jamwaramgarh, Jaipur.
3. Shahid Bhagat Singh Mahavidyalya, Bhagwanpura Road, Raipur, Jamwaramgarh, Jaipur Through Authorised Officer.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Naval Kishore Mali, Adv. Mr. S. N. Kumawat, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Tapesh Agrawal, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

26/10/2026

विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 16.03.2024 से व्यथित होकर याची–परिवादी की ओर से यह याचिका प्रस्तुत की गई है। अभियुक्त पक्ष को नोटिस जारी किये बिना याचिका पर अंतिम निस्तारण के अनुक्रम में सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त पक्ष द्वारा 1,66,120/–रुपये के चेक अनादरण के मामले में परिवादी द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामले में परिवाद प्रस्तुत किया है, अनेक अवसर देने के बाद परिवादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करने पर दिनांक 20.04.2023 को साक्ष्य बंद की गई, दिनांक 16.03.2024 को परिवादी का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.10.29
10:01:29 IST

खारिज किया गया, निगरानी न्यायालय द्वारा इस आदेश को अपास्त करते हुए दिनांक 07.06.2024 के आदेश के माध्यम से दो हजार रुपये की कोस्ट पर परिवादी को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिसे अभियुक्त पक्ष द्वारा S. B. Criminal Misc. Petition No. 4784/2024 के माध्यम से इस न्यायालय में चुनौती दी गई। इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 28.07.2026 को यह अभिमत प्रकट किया गया कि धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पारित आदेश अंतरवर्ती आदेश है, जिसके विरूद्ध निगरानी याचिका पोषणीय नहीं है और परिणामस्वरूप निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया गया।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी का निवेदन है कि निगरानी न्यायालय के आदेश की पालना में दो हजार रुपये की कोस्ट जमा करवाये जाने के बाद परिवादी के बयान व उससे जिरह हो चुकी है तथा प्रकरण अब बहस अंतिम की स्टेज पर है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए 5,000/—रुपये की कोस्ट पर यह याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 16.03.2024 के आदेश को अपास्त कर परिवादी की जो साक्ष्य लेखबद्ध हो चुकी है, उसे पढ़े जाने का आदेश दिया जाता है। पूर्व में निगरानी न्यायालय द्वारा जो दो हजार रुपये की कोस्ट अधिरोपित की गई थी, उसके अतिरिक्त यह 5,000/—रुपये कोस्ट परिवादी द्वारा अभियुक्त पक्ष को अदा करनी होगी, जो इस आदेश की पूर्ववर्ती शर्त होगी।

चूंकि यह आदेश अभियुक्त पक्ष की अनुपस्थिति में पारित किया जा रहा है, अतः यदि उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे इस आदेश को रिकॉल कराने हेतु आवेदन पेश करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

उपरोक्त शर्तों के अधीन यह याचिका स्वीकार कर निस्तारित की जाती है तथा स्थगन आवेदन व अन्य आवेदन, यदि कोई लंबित हों, तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

(UMA SHANKER VYAS),J

07/DINESH KUMAWAT